15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज,) 302005

क्रमांकः– पं.23(12)परि / प्र.नि. / वर्धमान कौशिक / 2017/1071 जयपुर, दिनांकः 15/01/2020

कार्यालय आदेश 03/2020

माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा O.A No 21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम केंद्र सरकार व अन्य में एनसीआर क्षेत्र के लिए दिनांक 20.07.2016 को जारी आदेश की पालना हेतु परिवहन मुख्यालय के आदेश क्रमांक पं.23(12)परि / प्र.नि. / वर्धमान कौशिक / 2017 / 1560 दिनांक 22.01.2018 जारी कर 10 वर्ष से ज्यादा आयु के पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक आयु के पुराने पेट्रोल चालित वाहनों के डी–रजिस्ट्रेशन तथा 15 वर्ष से अधिक आयु के पुराने व BS-I व BS-II वाहनों को स्क्रैप घोषित कर पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिये गए थे। उक्त प्रकार के वाहन NCR क्षेत्र में संचालित पाए जाने पर मोटरवाहन अधिनियम में उल्लेखित जुर्माने के अलावा एनवायरमेंटल कंपनसेशन वसूली के भी आदेश दिए गए थे।

उक्त आदेश के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि 31 दिसंबर 2019 को डीजल वाहन जिनकी आयु 10 वर्ष हो चुकी है तथा पेट्रोल वाहन जिनकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है, के संबंध में अभियान चलाकर आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा इस की रिपोर्ट 31.01.2020 तक मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

(राजेश यादव)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

Phone : 0141-2740021, 2850600, Fax :0141-2740177, Email : transport@rajasthan.gov.in/ transport.pollution@rajasthan.gov.in, Web : www.transport.rajasthan.gov.in

Scanned by CamScanner

क्रमांक : प.23(12)परि/प्र.नि./वर्धमान कौशिक/2017/1071-1077 जयपुर, दिनांक -15/01/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

15-01

संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्र.नि)

Scanned by CamScanner